भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 300*

20 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

शहरी स्थानीय निकायों में शहरी विक्रय समितियों का गठन

***300. श्री राजा राम सिंहः**

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राज्यवार कितने शहरी स्थानीय निकायों ने पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 के अधिदेश के अनुसार पथ विक्रेताओं का सर्वेक्षण किया है और शहरी विक्रय समितियों का गठन किया है;

(ख) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि पथ विक्रेताओं का सर्वेक्षण किया जाए और प्रत्येक राज्य में प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय में शहरी विक्रय समितियों की स्थापना की जाए;

(ग) क्या सरकार को यह जानकारी है कि दिल्ली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा दो सौ पिचासी के तहत पहली प्राथमिकी एक पथ विक्रेता के खिलाफ दर्ज की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार की यह स्पष्ट करने की कोई योजना है कि इस उपबंध और ऐसे अन्य उपबन्धों से संविधान और पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 के तहत पथ विक्रेताओं हेतु गारंटीकृत अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य मंत्री

(श्री मनोहर लाल)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

''शहरी स्थानीय निकायों में शहरी विक्रय समितियों का गठन'' विषय में दिनांक 20.03.2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 300* (20वां स्थान) के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): पथ विक्रेता (आजीविका का संरक्षण और पथ विक्रय का विनियमन) अधिनियम, 2014 की धारा 3(1) के अनुसार प्रत्येक पांच वर्षों में कम से कम एक बार पथ विक्रेताओं को चिह्नित करने के लिए सर्वेक्षण करना अनिवार्य है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, कुल 3,471 शहरों में पथ विक्रेताओं का सर्वेक्षण किया गया है। साथ ही, अधिनियम की धारा 22 में यह निर्दिष्ट है कि उपयुक्त सरकार प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण में एक या एक से अधिक नगर विक्रय समितियों (टीवीसी) के गठन का प्रावधान कर सकती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इस अधिनियम के तहत कुल 4,342 टीवीसी का गठन किया गया है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुलग्नक-1 में दिया गया है।

(ख): संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पथ विक्रय के लिए अपने संबंधित नियमों, योजनाओं, उप-नियमों और योजना का निरूपण करके पथ विक्रेता (आजीविका का संरक्षण और पथ विक्रय का विनियमन) अधिनियम, 2014 का कार्यान्वयन किया जाता है। समय-समय पर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय पत्र/परिपत्र जारी करके और बैठकों में चर्चा के साथ-साथ समीक्षा करके अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के कार्यान्वयन पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का ध्यान आकर्षित करता है, जिसमें अनिवार्य आवधिक सर्वेक्षण कराना, नगर विक्रय समितियों का गठन शामिल हैं।

(ग) और (घ): इस मंत्रालय में ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। यद्यपि पथ विक्रेता (आजीविका का संरक्षण और पथ विक्रय का विनियमन) अधिनियम, 2014 में अधिनियम की धारा 33 के तहत विक्रेताओं को सुरक्षा प्रदान की गई है, जिसका उद्धरण इस प्रकार है "इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट या इस अधिनियम से भिन्न किसी अन्य विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखत में किसी भी असंगत बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे।'' हालांकि इस अधिनियम की धारा 12(2) के अनुसार यदि कोई पथ विक्रेता विक्रय निषेध क्षेत्र के रूप में निर्धारित किसी क्षेत्र या स्थान पर विक्रय कार्य-कलाप कर रहा हो तो इसे अधिनियम का उल्लंघन माना जाएगा और अधिनियम की धारा 33 के अधीन पथ विक्रेता को कोई सुरक्षा उपलब्ध नहीं होगी। अधिनियम की धारा 33 में उल्लिखित उपर्युक्त सुरक्षा उन पथ विक्रेताओं को दी जाती है, जो विक्रय प्रमाण पत्र में उल्लिखित निबंधनों और शर्तों के अनुसार पथ विक्रय कार्य-कलाप से जुड़े व्यवसाय कर रहे हों।

*****

दिनांक 20 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 300* (20 वां स्थान) के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-1

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सर्वेक्षण पूरा करने वाले शहरों की संख्या	गठित टीवीसी की संख्या
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1	1
2	आंध्र प्रदेश	110	110
3	अरुणाचल प्रदेश	34	21
4	असम	82	98
5	बिहार	144	141
6	चंडीगढ़	1	1
7	छत्तीसगढ़	63	166
8	दादरा और नगर तथा दमन और दीव	3	3
9	दिल्ली	-	27
10	गोवा	13	14
11	गुजरात	169	163
12	हरियाणा	92	89
13	हिमाचल प्रदेश	57	52
14	जम्मू और कश्मीर	70	78
15	झारखंड	46	49
16	कर्नाटक	286	277
17	केरल	93	93
18	लद्दाख	2	2
19	मध्य प्रदेश	378	378
20	महाराष्ट्र	224	410
21	मणिपुर	27	27
22	मेघालय	6	1
23	मिजोरम	8	9
24	नागालैंड	12	12
25	ओडिशा	114	114
26	पुदुचेरी	6	5
27	पंजाब	170	163
28	राजस्थान	196	189
29	सिक्किम	7	7
30	तमिलनाडु	665	620
31	तेलंगाना	144	143
32	त्रिपुरा	20	20
33	उत्तर प्रदेश	130	651
34	उत्तराखंड	93	81
35	पश्चिम बंगाल	5	127
	कुल	**3,471**	**4,342**